

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(एसडीओ), सेड़वा
(पीठासीन अधिकारी : श्री बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :-112/2024

वाद बाबत :-राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नबीयत पत्नी उमानला खान जाति मुसलमान निवासी समावली, चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. दीदारअली पुत्र साबर 2. बीबा पुत्री अहमद 3. मुस्ताक पुत्र सदीक 4. साबु पत्नी सरादीन जातियान मुसलमान निवासीगण समावली, चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा सेड़वा 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्ता- वादी वकील -श्री मांगीलाल जयपाल

-:निर्णय :-

दिनांक:- 16-01-2026

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके संदर्भ में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2025/1183 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा मौजा समावली पटवार क्षेत्र चिचड़ासर भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खाता संख्या नया 88 के खसरा संख्या 173 रकबा 3-9983 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी के अधिवक्ता ने बहस की। वादी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व विभाजन प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत उचित होने से स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.10.2025(कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2025/1183 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव) को वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान् के सामने अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक् से घोषित की जाती है-




सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 112/2024
उनवान- उनवान नबीयत बनाम दीदारअली वगैरा

	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकवा (हेक्टेयर में)	किस्म	लगान	वरंग
1	नबीयत पत्नी उमानलाखान जाति मुसलमान सा. चिचड़ासर खातेदार	समावली	173	0-9996	वारानी दोयम	0.31	पीला
2.	जमाला पुत्री अहमद 1/9 हिस्सा दीदारअली पुत्र साबर 1/3 हिस्सा बीवा पुत्री अहमद 1/9 हिस्सा मुस्ताक पुत्र सदीक 1/3 हिस्सा साबु पत्नी सरादीन 1/9 हिस्सा कौम मुसलमान सा. देह खातेदार रहन मुस्ताक का हिस्सा बीसीसीबी शाखा सेड़वा में	समावली	173	2-9987	वारानी दोयम	0.93	आसमानी

तहसीलदार सेड़वा को तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.10.2025(कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2025/1183 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/26 को खुले इजलास में सुनाया गया।


(बद्रीनासयिण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी(एसडीओ) सेड़वा


सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applexdix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री बद्दीनारायण, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नबीयत पत्नी उमानलाखान जाति मुसलमान निवासी समावली, चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. दीदारअली पुत्र साबर 2. बीबा पुत्री अहमद 3. मुस्ताक पुत्र सदीक 4. साबु पत्नी सरादीन जातियान मुसलमान निवासीगण समावली, चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा सेड़वा 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सेड़वा।	

मुकदमा नम्बर : 112/2024

दावा बाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act

नबीयत बनाम दीदारअली वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री मांगीलाल जयपाल वादी अधिवक्ता मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.10.2025 तैयार कर उनके कार्यालय पत्रांक: भू.अ./2025/1183 दिनांक 30.12.2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव हेतु अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	नबीयत पत्नी उमानलाखान जाति मुसलमान सा. चिचड़ासर खातेदार	समावली	173	0-9996	बारानी दायम	0.31	पीला
2.	जमाला पुत्री अहमद 1/9 हिस्सा दीदारअली पुत्र साबर 1/3 हिस्सा बीबा पुत्री अहमद 1/9 हिस्सा मुस्ताक पुत्र सदीक 1/3 हिस्सा साबु पत्नी सरादीन 1/9 हिस्सा कौम मुसलमान सा. देह खातेदार रहन मुस्ताक का हिस्सा बीसीसीबी शाखा सेड़वा में	समावली	173	2-9987	बारानी दायम	0.93	आसमानी

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.10.2025 की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे में अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती

★
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 112/2024

उनवान- उनवान नवीयत बनाम दीदारअली वगैरा

उपर्युक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्ठा में तरमीम करने एवं पृथक् पृथक् खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को जारी की गई।

(बद्रीनारायण आर.एस.)
सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड
अधिकारी(एसडीओ) सेड़वा

वाद के खर्चे

मुद्दे	रूपया	पै.	मुद्दालय	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे।

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाड़मेर

पु.अ. का. 2

दिनांक:-30/12/2025

क्रमांक/भू.अ./2025/ 1183

प्रेषित: - श्रीमान् उपखंड अधिकारी महोदय
सेडवा (जिला- बाड़मेर)

विषय:- राजस्व वाद संख्या 112/2024 अनवान नबीयत पत्नी उमानलाखान बनाम दीदारअली पुत्र
साबर वगैरह अन्तर्गत RT Act धारा 53,188 में विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत ।

महोदय ,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 112/2024 अनवान नबीयत पत्नी उमानलाखान बनाम दीदारअली पुत्र साबर वगैरह में मौजा समावली के खसरा नंबर 173 रकबा 3.9983 हेक्टर का अन्तर्गत धारा 53,188 RT ACT में विभाजन प्रस्ताव हेतु आप द्वारा मौके की विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट चाही थी। जिसकी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 14.10.2025 को मौका जांचकर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव इस पत्रांक के संलग्न श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

पुर्णवा

मैं ..जो.लाराम.मी.वा.... (नाम) तहसीलदार...सेड़वा...., न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा. के आदेश क्रमांक दिनांक की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 14/12/2025 समय 12.00.दि. बजे आराजी खसरा नम्बर-.....173.. वाके ग्राम समावली. पटवार हल्का चिचड़ासर पर श्री ख.रा.ज.राम.पटवारी नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा. में विचारधीन प्रकरण संख्या-112/2024 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 1155/119 दिनांक 09/12/2025 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	नबीयत	पति उमानलाखान		मुसलमान	वादी
2.	दीदारअली पुत्र सावर			— u —	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	नाम आतेदार मप पता	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगात	वर्ग
1.	समावली	नबीयत पति उमानलाखान जाति मुसलमान सा. चिचड़ासर आतेदार	173	0.9996	वा.दोयम	0.31	पीला
2.	समावली	जमाला पुत्री अहमद १९ हिस्सा दीदारअली पुत्र सावर १३ हिस्सा बीबा पुत्री अहमद १९ हिस्सा मुस्ताक पुत्र सदीक १३ हिस्सा सावर पति सरादीन १९ हिस्सा कोम मुसलमान सा. देह आतेदार रकम. मुस्ताक का हि. BCCB शा. सेड़वा में।	173	2.9987	वा.दोयम	0.93	खाली पट्टी

नबीयत

जाणु

पटवारी (पू.अ.) चिचड़ासर


अतिरिक्त ऑफिस

कानूनगो सेड़वा

कानूनगो (पू.अ.) सेड़वा

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

यदि कोई
शर्त न हो
↓

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
1.	नवीयत पात्म	उमानलाखान	मुसलमान		वादी


निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-


क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.
01.	हीदाशअली पुत्र साबर			मुसलमान	प्रतिवादी

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..
01.	जगदीश पुत्र हेमाराभ		50	विश्रनेई	9950120767
02.	जानु पुत्र	उमानलाखान	52	मुसलमान	9928641876

इस प्रकार आज दिनांक 14/10/2025 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।


हस्ताक्षर
पटवारी
तहसील पं. मं.


अतिरिक्त ऑफिस
भ. अ. निरीक्षक
कानूनगाँ सड़की
वृत्त.....

हस्ताक्षर
ना. तह.
.....


तहसीलदार (पु.अ.) रोड़वा
तहसीलदार
.....


जानु

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

नाम :- समावली
हल्का :- चिचडासर
भू.अभि.ति. :- सोनडी
तहसील :- सेडवा
जिला :- बाडमेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 88
खाता संख्या पुराना :- 83

काश्तकार का नाम:-

1. जमाला पुत्री अहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
2. दीदारअली पुत्र साबर हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
3. नबीयत पत्रि उमानलाखान हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. चिचडासर खातेदार
4. बीबा पुत्री अहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
5. मुस्ताक पुत्र सदीक हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
6. साबू पत्रि सरादीन हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
173	3.9983	बा.दोयम	3.9983	1.24		
कुल खसरे - 1	3.9983		3.9983	1.2400		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 13-Oct-2025

NIC

पुनर्जाति प्रतिलिपि
13/10/2025
तहसील सड़वा (बाडमेर)

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 13/10/2025 06:07:25 PM

तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : सोनड़ी

ग्राम : समावली

वादी - संकेत

नबीयत पत्नी उमानलाखान

प्रतिवादी

जमाला पुत्री अहमद वगैरा



नबीयत

177

173

175

176

Scale 1:500

खसरा संख्या : 173 क्षेत्रफल : 3.9983 Hectare खाता संख्या : 88पुराना खाता संख्या : 83

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान] : बा.दोयम [3.9983, 1.24]

- 1.) जमाला पुत्री अहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
- 2.) दीदारअली पुत्र साबर हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
- 3.) नबीयत पत्नी उमानलाखान हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. चिचड़ासर खातेदार
- 4.) बीबा पुत्री अहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
- 5.) मुस्ताक पुत्र सदीक हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) द सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक, बाडमेर शाखा SEDWA
- 6.) साबू पत्नी सरादीन हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार

प्रमाणित प्रतिलिपि

13/10/2025

नवीयत (पु.अ.) चिचड़ासर
सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील



जान

अतिरिक्त ऑफिसर

चिचड़ासर

- नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 २. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 ३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

नवीयत (पु.अ.) चिचड़ासर